

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1877
दिनांक 4 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नीट काउंसलिंग के अंतर्गत एनआरआई कोटा में दस्तावेज़ सत्यापन में पारदर्शिता तथा नियमों में संशोधन

1877# श्रीमती लक्ष्मी वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य कोटा तथा अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु एनआरआई प्रमाणपत्र अनिवार्य है, और एजेंट एनआरआई कोटा के अंतर्गत प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता का दुरुपयोग करते हैं;

(ख) क्या सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन पोर्टल बनाने हेतु एनआरआई सीटों संबंधी नियमों में संशोधन कर रही है; और

(ग) क्या फर्जी प्रवेश में सहायता करने वाले ठेकेदारों/मध्यस्थों/निजी महाविद्यालयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु कोई ठोस योजना तैयार की जा रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की मेडिकल काउंसलिंग कमिटी(एमसीसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातक (यूजी/एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग में 15% अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटें; केंद्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें; राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों (आईएनआई) की 100% सीटें शामिल हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग में अखिल भारतीय कोटा की 50% सीटें, केंद्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल हैं। एमसीसी को मानित

विश्वविद्यालयों की 15% प्रवासी भारतीय (एनआरआई) कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जबकि निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एनआरआई कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है।

एआईक्यू के अंतर्गत काउंसलिंग के लिए एनआरआई कोटा के अंतर्गत यूजी/पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को एनआरआई अभ्यर्थियों होने के अपने दावे के समर्थन में अपने निवास देश में संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रवासी (एनआरआई) के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एनआरआई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। अभ्यर्थियों को वर्ष 2026 से प्रभावी एमसीसी पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एनआरआई प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। तदनुसार, एनआरआई अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन एमसीसी और आवंटित संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत किया जाता है।
